तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अभयसिंह चौहान बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार शेरगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 45 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अभयसिंह चौहान पता पहाड़गंज कोलानी–2, मण्डोर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.02.19 में उसके द्वारा (1) गांव हिन्कुड़ी हलका पटवारी चाबा के सभी किसानों की कृषि आदान अनुदान सहायता राशि देय वर्ष 2017–2018 व 18–19 जिस प्रर्फोम में आपके कार्यालय द्वारा बनाई है, नामावली सूचीया , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.((तहसीलदार शेरगढ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	